भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

स. 51/8/वीवीपीएटी/2018/ईएमएस दिनांक : 8 मार्च, 2018

सेवा में

सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय : इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों एवं वीवीपीएटी के प्रवर्तन के दौरान छद्म मतदान के संचालन के संबंध में स्पष्टीकरण - तत्संबंधी।

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि कुछ राज्यों ने यह स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या ईवीएम के प्रर्वतन के दौरान याद्दच्छिक रूप से 5% इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर 1000 मतों के छद्म मतदान के संचालन की प्रक्रिया का अनुसरण वीवीपीएटी के मामले में भी किया जाना है।

इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि ईवीएम तथा वीवीपीएटी के प्रवर्तन के दौरान, याद्दच्छिक रूप से चयनित 5% ईवीएम के साथ-साथ वीवीपीएटी पर भी 1000 मत का छद्म मतदान किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक परिणाम का मिलान पेपर गणना के साथ किया जाएगा। अभ्यर्थियों/उनके प्रतिनिधियों को इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए याद्दच्छिक रूप से मशीनों को चुनने एवं इस प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

भवदीय,

(मधुसूदन गुप्ता)
अवर सचिव

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. अध्यक्ष - सह - प्रबंध निदेशक, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बैंगलोर।
2. अध्यक्ष - सह - प्रबंध निदेशक, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड, हैदराबाद।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।